प्रेस नोट

मीडिया में रिपोर्टें थीं कि एक्वा फिना, किन्ले, बिसलेरी के पैकेजबंद पेय जल बाजार में एफ.एस.एस.ए.आई के लाइसेंस के बिना बिक रहे हैं। इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है-

(क) पैकेजबंद पेय जल खाद्‌य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 3 (ञ) के अंतर्गत खाद्‌य की परिभाषा में आता है और खाद्‌य सुरक्षा अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत सभी खाद्‌य कारोबारियों को पैकेजबंद पेय जल सहित खाद्‌य कारोबार करने/आरंभ करने से पूर्व लाइसेंस लेना/ पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

(ख) एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्‌य सुरक्षा और मानक (बिक्री निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.3.14(17) के अंतर्गत भा मा ब्यूरो प्रमाणन को अनिवार्य बनाया है अर्थात्*''कोई व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन मुहर के बिना पैकेजबंद पेय जल का निर्माण, बिक्री अथवा बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा।''*

(ग) पैकेजबंद पेय जल (पैकेजबंद खनिज जल को छोड़कर) के लिए भा मा ब्यूरो प्रमाणन एफ.एस.एस. अधिनियम के प्रवर्तन से पहले पी.एफ.ए अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 29 मार्च, 2001 से अनिवार्य बनाया गया था।

2. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने भा मा ब्यूरो के अधिकारियों और पैकेजबंद पेय जल के तीन मुख्य निर्माताओं अर्थात् मेसर्स पेप्सीको, कोका-कोला और बिसलेरी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। खाद्‌य कारोबारियों को मीडिया रिपोर्टों का स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया। सभी खाद्‌य कारोबारियों ने रिपोर्ट का खंडन किया और उनकी पैकेजबंद पेय जल की सभी निर्माता/प्रसंस्कर्ता इकाइयाँ एफ.एस.एस.ए.आई से लाइसेंसशुदा हैं और भा मा ब्यूरो प्रमाणित हैं। तदनुसार खाद्‌य कारोबारियों को उनके तृतीय पक्ष निर्माता, प्रसंस्कर्ताओं सहित अपनी विभिन्न निर्माण/प्रसंस्करण इकाइयों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

3. खाद्‌य कारोबारियों द्‌वारा दिए गए विवरणों की एफ.एस.एस.ए.आई द्‌वारा जाँच की गई और पाया गया कि खाद्‌य कारोबारियों के पास एफ.एस.एस.ए.आई/भा मा ब्यूरो का वैध लाइसेंस/प्रमाणन है। अत: यह आश्वस्त रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उक्त खाद्‌य कारोबारी एफ.एस.एस अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के उपबंधों का अनुपालन कर रहे हैं। पैकेजबंद पेय जल के अन्य खाद्‌य कारोबारियों के बारे में भी ऐसी ही कार्रवाई आरंभ की जा रही है।

4. सर्वसाधारण कृपया नोट करे कि एफ.एस.एस.ए.आई और भा मा ब्यूरो देश में पेकेजबंद पेय जल की गुणता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं।